

# कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

## लोकपाल, मनरेगा(वैशाली)

शिकायत संख्या- <sup>16</sup>12/13-14 के तथ्य एवं निष्कर्ष

दिनांक 27.9.13	<p>यह शिकायत पत्र श्री श्याम प्रभु कुमार, पिता- स्व0 भगेरन राय, ग्राम- रन्दाहा, प्रखण्ड- हाजीपुर, जिला- वैशाली के दिनांक 23.08.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है।</p> <p>ग्राम पंचायत बहुआरा की मनरेगा योजना में वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2012 एवं 2013 के क्रियान्वयन में वनपोषक की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।</p> <p>शिकायतकर्ता का आगे यह भी कहना है कि उनका जॉब कार्ड एवं पासबुक पंचायत अपने पास रखे हुए है।</p> <p>शिकायतकर्ता के शिकायत पत्र के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर से दिनांक 23.08.2013 को एक सप्ताह के अन्दर कारण पृच्छा की मांग की गयी। परन्तु दिनांक 10.09.2013 तक उनका जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त था। अतएव दिनांक 11.09.2013 को कार्यक्रम पदाधिकारी, हाजीपुर से दुबारा उक्त कारण पृच्छा का प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर देने की मांग की गयी।</p> <p>दिनांक 21.09.2013 की तारीख में कार्यक्रम पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने कारण पृच्छा में बताया कि प्रश्नगत शिकायतकर्ता द्वारा योजना संख्या 05/11-12 में वनपोषक के रूप में कार्य किया गया था। जिसका भुगतान एडवाइस बिल के द्वारा दिनांक 30.03.2013 को डाकघर में किया गया था। उन्होंने यह भी लिखा है कि शिकायतकर्ता का पासबुक पोस्ट ऑफिस से भुगतान के समय गुम हो गया था जिसमें पंचायत रोजगार सेवक की कोई संलिप्तता नहीं है।</p> <p>उक्त संबंध में शिकायतकर्ता ने भी लिखित रूप से बयान दिया है कि मैं मनरेगा की वृक्षारोपण योजना सं0 05/11-12 में वनपोषक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मुझे उपरोक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2011-12 का भुगतान डाकघर से प्राप्त कर चुका हूँ। वित्तीय वर्ष 2012-13 के मजदूरी का भुगतान पंचायत रोजगार सेवक द्वारा डाकघर को भेज दिया गया है।</p> <p>उन्होंने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि मेरा पासबुक वित्तीय वर्ष 2011-12 के भुगतान के समय डाकघर से गुम हो गया था। जिसे मैं स्वयं डाकघर से डुप्लीकेट बनवा लूँगा तथा डाकघर से भुगतान भी करा लूँगा।</p> <p>उन्होंने यह भी कहा है कि पंचायत रोजगार सेवक से जॉब कार्ड या पासबुक तथा भुगतान के संबंध में कोई शिकायत नहीं है इसलिए उक्त शिकायत को मैं वापस लेता हूँ।</p> <p>शिकायतकर्ता की शिकायत उसकी मजदूरी के भुगतान के संबंध में थी जिसे शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसे वित्तीय वर्ष 2011-12 की मजदूरी मिल चुकी है तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के मजदूरी का भुगतान भी पंचायत रोजगार सेवक द्वारा डाकघर को भेजा जा चुका है। जॉब कार्ड तथा पासबुक के संबंध में भी पंचायत रोजगार सेवक पर से अपने आरोप वापस ले लिए है।</p> <p>चूँकि यह शिकायत पत्र शिकायतकर्ता के व्यक्तिगत प्रश्नों से संबंधित था। अतः</p>	अभ्युक्ति
-------------------	---	-----------

उनकी स्वीकारोक्ति के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि कार्य का क्रियान्वयन हो चुका है।

मनरेगा कार्यक्रम मजदूरी आधारित सेवा है जिसमें मजदूरों का हित सर्वाधिक वाँछनीय है। अतः पंचायत रोजगार सेवक को अगाह किया जाता है कि मजदूरी भुगतान प्रक्रिया का ससमय पालन करें।


इन्ही निष्कर्षों के साथ इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

  
लोकपाल, मनरेगा,  
वैशाली।

ज्ञापांक 1846 /मनरेगा, वैशाली दिनांक  
प्रतिलिपि: पंचायत रोजगार सेवक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

  
लोकपाल, मनरेगा,  
वैशाली।


ज्ञापांक 1846 /मनरेगा, वैशाली दिनांक  
प्रतिलिपि: शिकायतकर्ता श्री श्याम प्रभु कुमार, ग्राम- रन्दाहा, ग्राम पंचायत -  
बहुआरा, पो0- बिदुपुर रेलवे स्टेशन, जिला - वैशाली को सूचनार्थ।

  
लोकपाल, मनरेगा,  
वैशाली।


ज्ञापांक 1846 /मनरेगा, वैशाली दिनांक  
प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ।

  
लोकपाल, मनरेगा,  
वैशाली।

ज्ञापांक 1846 /मनरेगा, वैशाली दिनांक  
प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को  
सूचनार्थ।

  
लोकपाल, मनरेगा,  
वैशाली।

ज्ञापांक 1846 /मनरेगा, वैशाली दिनांक 27/9/13  
प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

  
लोकपाल, मनरेगा,  
वैशाली।